

9-1-19

पञ्जाबली पेशाई। बार-बार आवान दिल्ली
 गई परन्तु शाकी की तरफ से वास्तव में पेशाई
 कोई उपस्थित नहीं है। न्यायालय का
 समय समाप्त होने को है अतः शाकी की
 अदम दायरी एवं अदम पेशाई में 7-2 साठफ
 न्यायिक किया गया। इस बाबत सम्बन्धित
 को सूचना दे दी जाती है। पञ्जाबली
 पेशाई सुमार होकर दर्जे सम्बन्ध में काम
 हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
 गया।

उप खण्ड अधिका
 साँभर ले